

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादडी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादडी
प्रकरण सं. 18/2024 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955
गोदावरी पत्नी कैलाशचंद्र ब्राहमण नि. भाटोली तह. बड़ीसादडी

-वादीया

-: बनाम :-

- 1- काशीबाई पुत्री कजोड़ गायरी नि. कचुमरा तह. बड़ीसादडी
- 2- भैरूलाल पुत्र कजोड़ गायरी नि. कचुमरा तह. बड़ीसादडी
- 3- भेरा पुत्र देवा गायरी नि. कचुमरा तह. बड़ीसादडी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादडी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा कचुमरा पटवार हल्का भाटोली की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- गोदावरी पत्नी कैलाश चंद्र ब्राहमण सा. भाटोली

आ. नं.	रकबा	लगान
574/1	0.14	3.64
572/2	0.17	1.19
573/2	0.41	2.87
कुल 3	0.72	7.70

2- भैरूलाल पुत्र कजोड़ गायरी (मृत्यु) वारिसान शंकरलाल गुडडी बाई देउबाई विष्णु बाई पिता भैरूलाल, मोहनीबाई पत्नी भैरूलाल गायरी

आ. नं.	रकबा	लगान
574 मी	0.39	10.14
कुल 1	0.39	10.14

3- भेरा पिता देवा गायरी (मृत्यु) वारिसान किशनलाल नारायणी बाई सोहनीबाई हुलासी बाई पिता भेरा गायरी

आ. नं.	रकबा	लगान
572/1	0.52	3.64
573/1	0.06	0.42
कुल 2	0.58	4.06

बदस्तुर जमाबंदी शामिल (काशी बाई पुत्री कजोड़ 1/2 गायरी सा.देह गोदावरी पत्नी कैलाश चंद्र 1/2 ब्राहमण सा. भाटोली)

601	0.11	0.77
1	0.11	0.77

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादडी



PTO


न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/202

दिनांक 24/11/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।




सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 18/2024 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955
गोदावरी पत्नी कैलाशचंद्र ब्राहमण नि. भाटोली तह. बड़ीसादड़ी

—वादीया

—: बनाम :-

- 1- काशीबाई पुत्री कजोड़ गायरी नि. कचुमरा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- भैरूलाल पुत्र कजोड़ गायरी नि. कचुमरा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- भेरा पुत्र देवा गायरी नि. कचुमरा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —

मौजा कचुमरा पटवार हल्का भाटोली की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- गोदावरी पत्नी कैलाश चंद्र ब्राहमण सा. भाटोली

आ. नं.	रकबा	लगान
574/1	0.14	3.64
572/2	0.17	1.19
573/2	0.41	2.87
कुल 3	0.72	7.70

2- भैरूलाल पुत्र कजोड़ गायरी (मृत्यु) वारिसान शंकरलाल गुडडी बाई देउबाई विष्णु बाई पिता भैरूलाल, मोहनीबाई पत्नी भैरूलाल गायरी

आ. नं.	रकबा	लगान
574 मी	0.39	10.14
कुल 1	0.39	10.14

3- भेरा पिता देवा गायरी (मृत्यु) वारिसान किशनलाल नारायणी बाई सोहनीबाई हुलासी बाई पिता भेरा गायरी

आ. नं.	रकबा	लगान
572/1	0.52	3.64
573/1	0.06	0.42
कुल 2	0.58	4.06


बदस्तुर जमाबंदी शामिल (काशी बाई पुत्री कजोड़ 1/2 गायरी सा.देह गोदावरी पत्नी कैलाश चंद्र 1/2 ब्राहमण सा. भाटोली)

601	0.11	0.77
1	0.11	0.77

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।




प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी